16. विविध शासनादेश–

विषय सूची			
क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक् किए जाने के संबंध में	1256 (1)/XXVIII(3)21-04/2008 T.C. दिनांक 25 नवम्बर, 2021	407–418
2.	शासनादेशों में पृष्ठांकन पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को अनिवार्यतः किए जाने के संबंध में	118333/ई0–53921/2023 दिनांक 28 अप्रैल, 2023	419–420
3.	ई–ऑफिस प्रणाली के अर्न्तगत पेपरलेस व्यवस्था अपनाये जाने के संबंध में।	128478/ XXVII(6)ई 19353/2023 दिनांक 08 जून, 2023	421–422
4.	विभिन्न परियाजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु "स्थल चयन समिति" का गठन किए जाने के संबंध में	128975/2023, दिनांक 12 जून, 2023	423–424
5.	जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क (user charges) के पुनरीक्षण के संदर्भ में	139420/2023, दिनांक 21 जुलाई, 2023	425–426
6.	कार्यालय अवधि के उपरांत सार्वजनिक सम्पत्ति को नागरिकों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराए जाने के संबंध में	151751/2023 दिनांक 06 सितम्बर, 2023	427–438

संख्या– [illegible] /XXVIII(3)/21-04/2008 T.C

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3 देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2021

विषय–प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संदर्भ में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–688/XXVIII-4-2018-04/2008 दिनांक 14.09.2018, शासनादेश संख्या–870/XXVIII-4-2018-04/2008 दिनांक 06.12.2018, शासनादेश संख्या–214/XXVIII-3-2020-04/2008T.C. दिनांक 04.05.2020 तथा शासनादेश संख्या–906/XXVIII-3-2020-04/2008T.C. दिनांक 31.12.2020 से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) को पृथक करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को समस्त प्रकार के रोगों के उपचार हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना **(State Government Health Scheme-SGHS)** का संचालन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **योजना का नाम** – कार्मिक/पेंशनर्स हेतु स्वास्थ्य योजना "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" (State Government Health Scheme - SGHS) के नाम से संचालित होगी।
2. **योजना का विवरण** – राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा Central Government Health Scheme (CGHS) दरों पर राजकीय/निजी चिकित्सालयों को (SGHS) योजना से सूचीबद्ध किया जायेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उन्हीं चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया जायेगा, जो उनके यहां उपलब्ध समस्त विशेषज्ञता/सुविधा कार्ड धारक को उपलब्ध करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एकल विशेषज्ञता के ख्याति प्राप्त चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया जायेगा।
3. **पात्रता**– "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018" में उल्लिखित है।

आश्रित की आयसीमा :– **आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)(समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुरूप निर्धारित होगी।**

नोट–विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण–पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।

4. **बिना किसी सीमा के चिकित्सकीय उपचार**—उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किये जाने वाले चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अर्थात उपचार पर होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की सुविधा CGHS दरों पर प्रदान की जायेगी।

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उपचार हेतु (Treatment/Procedure/Surgery Package etc.) जहां CGHS दरें उपलब्ध नहीं है, की प्रतिपूर्ति AIIMS की दरों पर की जायेगी। जहां AIIMS की दरें भी उपलब्ध नहीं हैं, वहां चिकित्सा प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत की दर के आधार पर किया जायेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति Rare of the Rarest Condition में ही होगी।

5. **प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार**— उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल में भर्ती होने पर) हेतु किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) की आवश्यकता नहीं है।

6. 1) सभी कार्मिकों/पेंशनरों से समान CGHS दरों पर **सातवें वेतन आयोग के अनुसार** अंशदान लिया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—
   a) वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 250/— प्रतिमाह।
   b) वेतन लेवल 6 राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 450/— प्रतिमाह।
   c) वेतन लेवल 7 से 11 तक राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 650/— प्रतिमाह।
   d) वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 1000/— प्रतिमाह।

   2) नई पेंशन स्कीम (NPS) से आच्छादित कार्मिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड वार्षिक अंशदान (12 माह) दे कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा 10 वर्ष के अंशदान के लगभग एकमुश्त अंशदान (120 माह) दिये जाने के पश्चात् आजीवन वैधता के साथ गोल्डन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

   3) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित राजकीय पेंशनर्स द्वारा मासिक अंशदान कटौती/वार्षिक अंशदान कटौती अथवा 10 वर्ष की अंशदान राशि के बराबर एकमुश्त अंशदान के भुगतान से आजीवन वैधता के साथ गोल्डन कार्ड का लाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

   4) वार्षिक अंशदान वाले पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के द्वारा समय—समय पर दरों के पुनरीक्षित होने पर संशोधित दर से वार्षिक अंशदान दिया जायेगा परन्तु 10 वर्ष के एकमुश्त अंशदान दिये जाने के पश्चात् प्राप्त आजीवन कार्ड के सम्बन्ध में यह लागू नहीं होगा।

7. ऐसे राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स अथवा उनके पति/पत्नी जो कि अन्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं यथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, ई0सी0एच0एस0 (भारतीय सैन्य सेवा हेतु) एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना इत्यादि से आच्छादित हैं, के द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) में सम्मिलित होने अथवा न होने का विकल्प स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को दिया जायेगा, जिसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग,

जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी जाएगी।

8. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा अन्य विभिन्न विभाग (स्वायत्तशासी निकाय, निगमों/जल संस्थान/जल निगम/वन निगम) प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा अनुनादानित संस्थाओं) आदि विभागों, जहॉ SGHS योजना लागू नही है, के कर्मियों/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भी राजकीय सेवाओं के कर्मियों की भॉति व्यवहृत किया जायेगा।

9. पति–पत्नी दोनों के सेवारत होने की दशा में दोनों में से, जो उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होगा, उसके द्वारा ही अंशदान (Contribution) दिया जायेगा। यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक /पेंशनर हैं, तो दोनों के माता–पिता, जो उन पर आश्रित हैं, परिवार में सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि उन दोनों के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान दिया जा रहा हो।

पत्नी के उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होने पर पत्नी के पास माता–पिता के रूप में पति के माता–पिता का चयन आश्रित में किए जाने का विकल्प होगा। पत्नी पर पति के माता–पिता के साथ स्वयं के माता–पिता आश्रित होने पर पत्नी द्वारा दोहरे अंशदान की कटौती के साथ समस्त आश्रितों हेतु योजना का लाभ लिया जा सकेगा। महिला पेंशनर (पति के देहान्त के उपरान्त) द्वारा अंशदान कटौती करवाते हुए पति के माता–पिता को आश्रित की श्रेणी में रखा जा सकेगा।

10. राजकीय सेवक के पति/पत्नी यथास्थिति में, सरकारी सेवा में न होने तथा उन पर आश्रित न होने की दशा में उनकी इच्छानुसार/विकल्पानुसार, उक्त राजकीय सेवक हेतु नियत अंशदान के समतुल्य अंशदान प्राप्त कर उन्हें भी योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प होगा।

11. **राजकीय सेवक एवं पेंशनर्स के अंशदान के रूप में की गयी कटौती को सोसाइटी के बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाना** – राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्मिक/पेंशनर के जनवरी, 2021 के वेतन/पेंशन से (जो माह फरवरी, 2021 में देय है) से अंशदान की कटौती की जा रही है। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरान्त धनराशि "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" के खाते में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी। कार्मिकों के देयकों का भुगतान आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अंशदान की कटौती की धनराशि राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

12. **राजकीय कार्मिकों/पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आउट डोर पेशेन्ट** (OPD) **व्यवस्था** –

OPD में उपचार कराये जाने पर सूचीबद्ध/गैरसूचीबद्ध OPD क्लीनिक/चिकित्सालयों में चिकित्सा **व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना** (CGHS) **दरों के अनुसार निम्नवत् है :–**

A. राज्य के शासकीय कार्मिक/पेंशनर सूचीबद्ध/गैरसूचीबद्ध अस्पतालों में OPD की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

B. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा कार्मिकों/पेंशनर्स को CGHS की दरों पर परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी द्वारा उक्त शुल्कों/चिकित्सा व्यय का वहन एवं औषधियों का क्रय तत्समय स्वयं किया जायेगा।

C. कार्मिक/पेंशनर्स गैर सूचीबद्ध OPD क्लीनिक/चिकित्सालयों में चिकित्सकों से कराये गये उपचार का चिकित्सा व्यय (परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology एवं औषधियों का क्रय) का भुगतान स्वयं करेंगे।

D. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा उपरोक्तानुसार कराये गये उपचार का अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तिथि एवं मोहर सहित अभिप्रमाणित किया जायेगा।

E. उपरोक्तानुसार शासकीय कार्मिक/पेंशनर्स उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रपत्र/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेंगे।

F. इनके द्वारा प्रस्तुत दावे अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण CGHS दरों पर जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी) से कराया जायेगा। जिसे कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो; के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत, नियमानुसार स्वीकृत कर/करा कर आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से (IFMS Portal के माध्यम से ऑनलाईन) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

G. सम्बन्धित मूल प्रलेख आहरण–वितरण अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे।

H. राज्य गठन से पूर्व पेंशनर्स के आउट डोर पेशेन्ट/OPD बिलों का स्वीकृता अधिकारी सम्बन्धित कोषाधिकारी तथा उसके पश्चात सेवा निवृत्त/पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

I. <u>चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा :–</u>

i. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत किया जायेगा। अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में कार्मिकों/ पेंशनरों की कर्मचारी संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।

ii. समस्त मूल बिल वाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।

iii. समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा मोहर सहित सत्यापित हो।

iv. चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं उसकी दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुये सत्यापन किया जायेगा।

v. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (**प्रारूप परिशिष्ट–क के अनुसार**) प्रस्तुत करना होगा।

vi. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।

vii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की ही तिथियों के बिल वाउचर्स का भुगतान किया जायेगा।

13. अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD)

a) अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरें मान्य होंगी।

b) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों/आश्रितों को प्रदेश के सूचीबद्ध राजकीय चिकित्सालयों तथा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर (In patient) कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

c) राज्य के कार्मिकों/पेंशनर को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की सुविधा असीमित धनराशि तक अनुमन्य होगी।

d) कार्मिकों/पेंशनर द्वारा गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी।

e) कार्मिक/पेंशनर्स गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD) उपचार चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करेंगे तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रपत्र/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेंगे।

f) गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकों से कराये गये अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) दरों पर इस हेतु अधिकृत अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी) से कराया जायेगा।

परीक्षणोपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को नियमानुसार स्वीकृत कर/करा कर आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से (IFMS Portal के माध्यम से ऑनलाईन) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

g) राज्य गठन से पूर्व पेंशनर्स के गैरसूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये उपचार सम्बन्धी IPD बिलों का स्वीकृता अधिकारी सम्बन्धित कोषाधिकारी तथा उसके पश्चात सेवा निवृत्त /पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूति दावे की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष /प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा नियमानुसार प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

h) सम्बन्धित मूल प्रलेख आहरण–वितरण अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे।

i) राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य को चिकित्सा सुविधा हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की अनुमन्यता के आधार पर शैय्या की अनुमन्यता होगी। जिसके अन्तर्गत बेड का वर्गीकरण सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार 1 से 5 तक सामान्य बेड, लेवल 6 हेतु सेमी प्राइवेट बेड, लेवल 7 से 11 हेतु प्राइवेट बेड एवं लेवल 12 एवं उच्चतर हेतु डीलक्स बेड अनुमन्य कराई जाएगी। सी0जी0एच0 एस0 दरों के अन्तर्गत 04 बेड जिसमें सामान्य बेड हेतु रू0 1000/– प्रतिदिन, सेमी प्राइवेट बेड हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन व प्राईवेट बैड हेतु रू0 3000/– प्रतिदिन और लेवल 12 व उच्चतर लेवल के लिए डीलक्स बेड हेतु रू0 4000/– की दर अनुमन्य होगी। सेमी प्राईवेट बेड, प्राईवेट बेड एवं डीलक्स बेड हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों पर चिकित्सालय को भुगतान अनुमन्य होगा।

j) एक निश्चित प्रतिशत के चिकित्सा दावों का ऑडिट भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों को कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को संदर्भित किए जाने का प्राधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–2, 1(ii) में प्रावधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार होगा। राज्य के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति भी उक्त वित्तीय प्रतिनिधायन से शासित होंगे।

ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 में परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति के स्तर

क0 सं0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	स्वीकर्ता अधिकारी	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0)
1.	रू0 1.5 लाख	कार्यालयाध्यक्ष	जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक /इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी)
2.	रू0 1.5 लाख से रू0 3.00 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो।	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल
3.	रू0 3.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक	विभागाध्यक्ष	महानिदेशक/निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4.	रू0 5.00 लाख से अधिक	प्रशासकीय विभाग	तदैव

नोट–राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों से चिकित्सा उपचार की दशा में सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधीक्षक/प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपचार हेतु कार्मिक/पेंशनर के द्वारा दिये गये अग्रिम आहरण के प्रस्ताव (चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक) को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा स्वीकृत कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

15. ओ0पी0डी0 अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये आई0पी0डी0 उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श के बीजकों की प्रतिपूर्ति हेतु दावा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र समस्त अभिलेखों सहित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग/स्वीकृता अधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो (वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार) को उपचार समाप्ति के छः माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि से विलम्ब की दशा में प्रतिपूर्ति दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

16. प्रदेश के बाहर गैर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार :–

a) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर को उत्तराखण्ड में स्थित किसी राजकीय/सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार हेतु सन्दर्भण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

b) कार्मिकों/पेंशनर द्वारा प्रदेश के बाहर गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी। इस हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ओ0पी0डी0 उपचार की स्थिति में प्रस्तर–12(E) के अनुसार तथा आई0पी0डी0 उपचार की स्थिति में प्रस्तर– 13(e) के अनुसार होगी।

c) प्रदेश के बाहर नई दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर व उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती होने की दशा में रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 प्रावधानों में उक्त योजना के लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में समस्त प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने की दशा में किसी एक विशिष्ट (Specific) चिकित्सा कराने हेतु ही पात्र न हो। सूचीबद्ध Multi-Speciality Hospital में लाभार्थी अपनी स्वेच्छानुसार यथास्थिति किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र होंगे अर्थात् कोई भी सूचीबद्ध अस्पाताल विशिष्ट उपचार मात्र हेतु ही अधिकृत न हो।

18. उक्त योजना हेतु CGHS Provisions को In-toto (Overall) भी योजना की सीमान्तर्गत अंगीकृत (Adopt) किया जाता है।

19. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ओ0पी0डी0 चिकित्सा में सुविधा प्रदान करने हेतु डॉयग्नोस्टिक सेन्टर एवं औषधालय भी पंजीकृत किए जायेंगे, जिससे निःशुल्क जांच एवं दवाईयों की सुविधा राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को प्रदान की जा सके।

20. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी अपना अंशदान ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority, Uttarakhand) को कार्मिक के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित/उपलब्ध कराया जायेगा।

21. कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया :–

a) कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टॉफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

b) पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

c) पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य इसके अतिरिक्त अपने मूल विभाग के आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय से अथवा किसी भी आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

d) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं पेंशनर (उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर) किसी भी जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre-CSC) से अथवा सूचीबद्ध चिकित्सालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

e) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) इस हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टॉफ को उनके नाम से अधिकृत करेगा।

f) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करेगा।

22. उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :-

a) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

b) उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिको हेतु अनिवार्य होगी।

c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

23. उक्त योजना के मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जायेगा, परन्तु यदि योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होती है, तो इस हेतु परिवर्तन-परिवर्धन के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगें।

24. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के संचालन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय हेतु कार्मिक/पेंशनर से प्राप्त होने वाले अंशदान से प्रति कार्मिक/पेंशनर प्रतिमाह रू0 5/- व्यय कर सकेगा।

25. उपरोक्तानुसार सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित व्यवस्था के कम में पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या-679/चि0-3-2006- 437/2002, दिनांक 04.09.2006 में उनके चिकित्सकीय उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधानित व्यवस्था समाप्त समझी जायेगी।

दिनांक 31.12.2020 तक प्रस्तुत होने वाले समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

26. यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-210/(M)/XXVII(3)/2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 1256 (1)/XXVVIII(3)21-04/2008. T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0 रवि शंकर)
अपर सचिव

गोल्डन कार्ड योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय कार्मिकों / पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र

वाह्य / अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

मैं डा0 .... प्रमाणित करता हूँ कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....पत्नी / पुत्र / पुत्री / माता / पिता.............................. कर्मचारी / पेंशनर पंजीकृत संख्या .... विभाग.., जो ....रोग से पीड़ित हैं / थे, का उपचार दिनांक ....से ....तक वाह्य / अन्तः रोगी के रूप में .... चिकित्सालय से मेरे द्वारा किया गया है / था।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न बाउचर के अनुसार है, रोगी की स्थिति में सुधार / निवारण के लिए आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नहीं है, जिसके लिए समान थैरोप्यूटिक एफेक्ट वाला सस्था पदार्थ उपलब्ध है और न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित है, जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ, टायलेटरीज व डिसइन्फेक्टेन्ट है।

3. <u>उपचार पर व्यय का विवरण</u> :

(क) परामर्श शुल्क	रू0....................................
(ख) औषधि पर व्यय	रू0....................................
(ग) पैथोलॉजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0....................................
(घ) रेडियोलॉजीकल परीक्षण पर व्यय	रू0....................................
(ड.) विशेष परीक्षण पर व्यय	रू0....................................
(च) शल्य किया पर व्यय	रू0....................................
(छ) अन्य व्यय (विवरण सहित)	रू0....................................
योग	रू0....................................

4. रोगी को चिकित्सा में भर्ती कर उपचार किए जाने की आवश्यकता थी / नहीं थी।
संलग्नक :– मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित / अभिप्रमाणित बिल / बाउचर संख्या...................

सम्बन्धित चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा किए गये उपचार के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.................................... जो.................................... रोग से पीड़ित है था / थी एवं उसका चिकित्सा उपचार मेरे द्वारा किया गया / जा रहा है।

2) प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी....................................का चिकित्सा उपचार वर्तमान में नवीनतम प्रचलित पद्धति के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है।

3) चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार रोगी द्वारा कराये गये उपचार की धनराशि प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति रोगी को की जा सकती है।

4) चिकित्सालय में श्री / श्रीमती / कुमारी....................................को उपलब्ध करायी गयी चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम है / थी।

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

प्रतिहस्ताक्षर

प्राधिकृत चिकित्सक
(सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा केन्द्र का प्रमुख)

चिकित्सक
(नाम योग्यता मोहर सहित)

सूचीबद्ध चिकित्सालयों से ओ0पी0डी0 उपचार हेतु :–

1) सूचीबद्ध चिकित्सालयों में ओ0पी0डी0 उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के मुख्य/प्रभारी चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

2) गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में ओ0पी0डी0 उपचार की दशा में अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिला/उप–जिला चिकित्सालय के प्रमुख (मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्साधीक्षक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

आकस्किता की स्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अन्तः रोगी उपचार (I.P.D.) की दशा में प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र :

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी...................................... का .... चिकित्सालय में उपचार किया गया। उपचारकर्ता को दी गयी चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम थी। उपचारकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योग्य निर्धारित धनराशि सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी।

I/118333/2023

I/118333/2023

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–6

संख्याः /ई0–53921/2023

देहरादून, दिनांकः अप्रैल, 2023

समस्त सचिव,
समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

कृपया, आप विदित है कि पूर्व में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के महत्वपूर्ण शासनादेशों (01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2019 तक) का संकलन का कार्य वित्त विभाग के अंतर्गत, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तराखण्ड द्वारा सम्पादित किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के शासनादेशों का नवीन संकलन का कार्य सम्प्रति गतिमान होने के दृष्टिगत अपने अधीनस्थ अनुभागों से निर्गत होने वाले सभी वित्तीय एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रकरणों से सम्बन्धित शासनादेशों को (दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से आतिथि) पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– साथ ही भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण शासनादेश निर्गत किये जाए, उसे अनिवार्य रूप से पृष्ठांकन के रूप में उक्त वित्तीय संस्थान को भी प्रेषित किया जाए, जिससे ससमय शासकीय हित में उक्त महत्वपूर्ण वित्तीय शासनादेशों का संकलन किया जा सकें।

Signed by Dr Surendra
Narayan Pandey
Date: 28-04-2023 19:53:14

(डॉ0 एस.एन. पाण्डे)
सचिव।

संख्या– /XXVII(6)/1389/तीन/2019/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अनुभाग अधिकारियों को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अपेक्षा के कम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सचिव।

/128478/2023

संख्या–128478/XXVII(6) ई 19353/2023

प्रेषक,

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, राष्ट्रीय बचत, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, राज्यकर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. संयुक्त सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 (नोडल अनुभाग) देहरादूनः दिनांकः 08 जून, 2023

विषय–ई ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत पेपरलेस व्यवस्था अपनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विदित है कि पूरे राज्य में ई ऑफिस प्रणाली की व्यवस्था लागू की गयी जा चुकी है। इसके अन्तर्गत नीचे के क्षेत्रीय कार्यालयों से लेकर निदेशालय एवं शासन (Bottom से top) को ई ऑफिस प्रणाली के अन्तर्गत एकीकृत किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत सभी आवश्यक अभिलेखों एवं पत्रों को ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन संचरण की व्यवस्था स्थापित की गयी है। ऐसी दशा में भौतिक पत्रों का संचालन किया जाना अनावश्यक रूप से संसाधनों के दुरूप्रयोग का द्योतक है।

2– उक्त संबंध में उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई ऑफिस प्रणाली का सम्यक् उपयोग करते हुए दिनांक 20.06.2023 के पश्चात किसी भी दशा में पत्रों एवं अभिलेखों को भौतिक रूप से संचालित न किया जाय।

भवदीय

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 07-06-2023 20:38:39

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या– /XXVII(6)/ई 19353/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. - अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. - समस्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. - समस्त अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. - समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. - बजट अधिकारी, बजट एवं राजकोषीय प्रबंधन निदेशालय/वरिष्ठ शोध अधिकारी, वित्त आयोग निदेशालय को इस आशय से पत्र प्रेषित कि उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
6. - समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

I/128975/2023

I/128975/2023

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–1
देहरादून : दिनांक 12 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

विषयः विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु 'स्थल चयन समिति' का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

सामान्यतया विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य स्थल हेतु केवल भूमि और वह भी निःशुल्क भूमि की उपलब्धता को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा भूमि उपलब्ध हो जाने पर समग्र दृष्टि से भूमि/स्थल की उपयोगिता के सम्बन्ध में सम्यक विचार किए बिना अग्रेत्तर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है। भविष्य में कई प्रकरणों में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत संज्ञान में आता है कि निर्माण स्थल जन सुविधा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है तथा स्थल पर भूस्खलन, सुगम मार्ग की अनुपलब्धता, विद्युत/पानी आदि विषयक समस्याएं भी विद्यमान होने के कारण सम्बन्धित योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता और कई प्रकरणों में उसकी उपादेयता भी नहीं रहती। फलतः ऐसे निर्माण कार्यों में पूंजीगत मद के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक आवर्ती व्यय करना पड़ता है। महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड एवं आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कई ऐसे उद्धरण रेखांकित किए गए हैं, जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत उसकी उपादेयता कम/आंशिक ही पाई गई है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त स्थल चयन के लिए निम्नानुसार **"स्थल चयन समिति (Site Selection Committee)"** का गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ तक है:–

1.	जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी	–अध्यक्ष
2.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों	– सदस्य
3.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है	– सदस्य
4.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक (ACF) (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में)	– सदस्य
5.	सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	– सदस्य सचिव
6.	विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा	– सदस्य

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनकी निर्माण लागत ₹ 10.00 करोड़ से अधिक है:–

1.	जिलाधिकारी	– अध्यक्ष
2.	प्रभागीय वनाधिकारी (मात्र वन भूमि निहित होने की दशा में)	– सदस्य
3.	जिलाधिकारी द्वारा नामित अभियंत्रण विभाग का तकनीकी अधिकारी, जो अधिशासी अभियंता से अन्यून हों	– सदस्य
4.	सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिसके क्षेत्रान्तर्गत परियोजना प्रस्तावित है	– सदस्य
5.	सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी	– सदस्य सचिव
6.	विषय विशेषज्ञ, यदि आवश्यक हो, को सम्बन्धित जिलाधिकारी/प्रशासकीय विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकेगा	– सदस्य

3. उपरोक्तानुसार गठित समितियों हेतु स्थल चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत होंगे:–

(1) "स्थल चयन समिति" सम्बन्धित प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में स्थल की उपादेयता से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं/कारकों यथा, प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिति, आबादी क्षेत्र से दूरी, सड़क मार्ग की चौड़ाई, कनेक्टिविटी, पार्किंग, यातायात मूल्यांकन/यातायात जमाव (traffic assessment/congestion), बिजली, पानी की उपलब्धता, सम्बन्धित लाभार्थियों की पहुंच/सुविधा, स्थल के स्थायित्व एवं भविष्य की आवश्यकता इत्यादि का ध्यान रखेगी।

(2) "स्थल चयन समिति" द्वारा प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं होने एवं अतिक्रमण से मुक्त होने आदि का संज्ञान लेने के साथ-साथ सिविल/वन भूमि हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि अर्जन, यथालागू, सम्बन्धी प्रक्रिया योजना का कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व सम्पन्न कर लिए जाने की स्थिति/संभावना का भी आंकलन किया जायेगा।

(3) किसी विभाग का प्रस्ताव प्राप्त होने पर "स्थल चयन समिति" एक सप्ताह के भीतर स्थल चयन के सम्बन्ध में निर्णय लेकर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को प्रेषित करेगी।

(4) परियोजना की प्रकृति के अनुसार भूमि/स्थान की उपयुक्तता के आधार पर समिति उक्त बिन्दु 3(1) एवं 3(2) के आलोक में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सिविल भूमि को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, किन्तु सिविल भूमि उपलब्ध न होने अथवा उक्त मानकों की दृष्टि में उपयुक्त न पाये जाने की दशा में उक्त मानकों की दृष्टि में सर्वाधिक उपयुक्त वन भूमि के हस्तान्तरण अथवा निजी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में भी स्थल चयन कर अपनी संस्तुति देगी।

(5) प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के साथ स्थल चयन समिति की आख्या संलग्न की जानी आवश्यक होगी जिसमें उपयुक्तता के कारणों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में स्थल चयन समिति वरीयता के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के स्थलों का चयन कर उसके कारणों सहित अपना मंतव्य देगी।

(7) परियोजना की डी.पी.आर. का टी.ए.सी. द्वारा परीक्षण तभी किया जायेगा जबकि उसमें स्थल चयन समिति की रिपोर्ट संलग्न हो। साथ ही, परियोजना की स्वीकृति के स्तर पर सक्षम प्राधिकारी/वित्त विभाग द्वारा यह भी देखा जायेगा कि परियोजना के सन्दर्भ में स्थल चयन की कार्यवाही शासनादेश के अनुसारकी गयी है।

4. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ऐतद्विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 90214/2023 दिनांक 18 जनवरी, 2023 तथा शासकीय परियोजनाओं के निमित्त निःशुल्क भूमि की अनिवार्यता विषयक राजकीय विभागों द्वारा पूर्व में निर्गत अन्य शासनादेश, यदि कोई हों, अवक्रमित समझे जायेंगे।

5. कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

Signed by Sukhbir Singh
Sandhu
Date: 09-06-2023 15:01:39

(डॉ. सुखबीर सिंह सन्धु)
मुख्य सचिव

संख्या : 12-8975 /XXVII(1)/2022 एवं तद्दिनांकित। 12/06/2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, देहरादून।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिलीप जावलकर)
सचिव

/139420/2023

/139420/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 21 जुलाई, 2023

विषय: जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) के पुनरीक्षण के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उल्लेख करना है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जनसामान्य को अनेक प्रकार की जनसुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिनमें से कतिपय सेवाओं हेतु संबंधित विभागों अथवा उनके अधीनस्थ ऐजेन्सियों द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges–उपयोगकर्ता शुल्क से तात्पर्य कोई भी शुल्क (Fee) से है, चाहे उसे विभिन्न विभागों /एजेंसियों में किसी भी अन्य नाम से जाना जाय) भी जनसामान्य से वसूला जाता है। उक्त उपयोगकर्ता शुल्क की दरों को प्रचलित बाजार मुद्रास्फीति से जोड़ा जाना आवश्यक है ताकि नियमित मात्रा में एक अल्प धनराशि में वृद्धि से जनसामान्य पर एकमुश्त बोझ न पड़े एवं जनसेवाओं के अनुरक्षण हेतु भी धनराशि प्राप्त होती रहे। विगत में विभागों द्वारा 03 से 05 वर्ष के अन्तराल पर उपयोगकर्ता शुल्क में बढोतरी किए जाने की प्रवृत्ति रही है, जो एकमुश्त अधिक दिखाई देती है।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विभिन्न सेवा प्रदाता विभागों/एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु अधिरोपित किए गये उपयोगकर्ता शुल्क को जनसामान्य के अनुरूप बनाने हेतु दरों के पुनरीक्षण के संदर्भ में निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्गत किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. प्रत्येक सेवा प्रदाता विभाग द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क, यदि लागू हो, में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 05 (पांच) प्रतिशत की बढोतरी की जाएगी ताकि उपयोगकर्ता शुल्क को वर्तमान मुद्रास्फीति दर से जोड़ा जा सके। उक्तानुसार पुनरीक्षित दरें प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से लागू होंगी जबकि वित्तीय वर्ष 2023–24 के संदर्भ में उक्त बढोतरी शासनादेश लागू होने की तिथि से लागू होंगी।
2. यदि किसी विभाग द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क में न्यूनतम 05 प्रतिशत से कम का परिवर्तन किया जाना हो तो संबंधित विभाग तत्संबंधी औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर मा. मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त कर उक्तानुसार पुनरीक्षण की दरों को कम कर सकता है।
3. यदि किसी विभाग को उपयोगकर्ता शुल्क में न्यूनतम 05 से अधिक प्रतिशत की वृद्धि करनी औचित्यपूर्ण एवं व्यवहारिक प्रतीत होती है तो सम्बन्धित विभाग अपने स्तर से यह वृद्धि करने में सक्षम होगा। सामान्यतः पुनरीक्षण इस प्रकार लागू किया जाये कि सम्बन्धित इकाई की संचालन लागत (Operational Cost) एवं उन्नयन लागत (Upgradational Cost) का वहन सुनिश्चित हो सके।

4\. समस्त विभाग अपने-अपने Web Portal/App के माध्यम से आरोपितकर्ता शुल्क के संग्रहण (Collection) हेतु U.P.I. की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5\. कृपया उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 20-07-2023 15:52:56

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या 13१५२० (1)/XXVII (1)/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2-- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3-- निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
4-- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5-- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
6-- महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
7-- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
8-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9-- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10-- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
11-- गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

'151751/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2— समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग—1 देहरादून : दिनांक : 06 सितम्बर, 2023

विषयः कार्यालय अवधि के उपरान्त सार्वजनिक सम्पत्ति को नागरिकों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों का निर्माण, जिसमें कार्यालय, शिक्षण संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं और अन्य परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं, सरकारी निधियों के निवेश से ही किया जाता है।

2— इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी निधियों से निर्मित/विकसित परिसंपत्तियों का आदर्श उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु नागरिकों द्वारा भी उपयोग हेतु उपलब्ध कराए जाने एवं उनके रखरखाव आदि हेतु राजस्व अर्जन करने हेतु, उक्त परिसम्पत्तियों को निजी पारिवारिक समारोहों व अनुमन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग के माध्यम से सामुदायिक विकास, जनसहभागिता, सांस्कृतिक गतिविधियों व इसमें सामाजिक क्रियाकलापों को बढावा देने एवं इससे प्राप्त राजस्व से संबंधित परिसंपत्ति का रखरखाव, देखभाल तथा सुविधा विस्तार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3— इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया का विस्तृत वर्णन संलग्न संलग्न मार्गदर्शिका में उल्लिखित है।

4— कृपया उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार शासन के उपरोक्त निर्णय के

अनुपालन हेतु समयबद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 05-09-2023 13:08:55

(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या-1517/ई–57741 / XXVII(1)/2019 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
9. उप सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय।
14. गार्ड फाईल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

कार्यालय अवधि के उपरांत सार्वजनिक संपत्ति को नागरिकों द्वारा उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शिका

1— प्रस्तावना

उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक सेवा प्रदान करने और अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है। सरकारी निधियों का उपयोग सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण, जिसमें कार्यालय, शिक्षण संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं और अन्य परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं, में निवेश करने के लिए किया जाता है। इन संपत्तियों का आदर्श उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित सचिव समिति की बैठक में निर्देश प्रदान किए गये हैं। तत्क्रम में कतिपय शर्तों के अधीन कार्यालय अवधि की समाप्ति के उपरांत सीमित सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

2— उद्देश्य

- सार्वजनिक संपत्ति का पूर्ण उपयोग करना तथा इसमें जनसहभागिता को प्रोत्साहित करना।
- संपत्ति की रखरखाव और देखभाल के लिए राजस्व अर्जित करना।
- सामुदायिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों और इसमें सामाजिक क्रियाकलापों को बढावा देना।

3— सार्वजनिक उपयोग का विस्तार क्षेत्र

- सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में जन उपयोग हेतु सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम, पार्किंग क्षेत्र, पार्क और कक्षाओं जैसी समस्त निर्दिष्ट सरकारी संपत्तियों का उपयोग विर्निदिष्ट घंटों के दौरान किया जायेगा,

  परन्तु निम्नलिखित कार्यालयों/अधिष्ठानों को उपरोक्त परिधि से बाहर रखा जाएगा :—

  1. राजभवन परिसर
  2. मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर
  3. विधानसभा परिसर
  4. न्यायालय परिसर
  5. सचिवालय परिसर
  6. पुलिस एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित मुख्यालय/कार्यालय

- परिशिष्ट—A में उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए संपत्ति के उपयोग की अनुमति प्राप्त होगी, जो परिशिष्ट—B में उल्लिखित कतिपय प्रतिबंधों के

अधीन होगी।

4– सक्षम प्राधिकारी

- जिला स्तर पर एक समिति होगी, जो ऐसी सार्वजनिक परिसंपत्ति की पहचान, प्रोत्साहन व नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगी।

जिला स्तरीय समिति का स्वरूप

- जिलाधिकारी – अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिला अधिकारी – उपाध्यक्ष
- मुख्य कोषाधिकारी अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी – सदस्य
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी – सदस्य सचिव

  (जनपद में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी की तैनाती न होने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा समकक्ष अधिकारी को सदस्य सचिव का दायित्व निर्वहन करने हेतु नामित किया जायेगा)
- सम्बन्धित उप जिलाधिकारी – सदस्य
- परिसम्पत्ति के स्वामित्व या रखरखाव से सम्बन्धित विभाग या संगठन के जिला स्तर के अधिकारी – सदस्य
- दो या तीन प्रबुद्ध नागरिक अथवा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, जिसे अध्यक्ष नामित करें – सदस्य।

समिति के अध्यक्ष उप जिला या तहसील स्तर पर ऐसी ही समिति गठित करेंगे जिनकी अध्यक्षता उप जिलाअधिकारी उप जिला या तहसील स्तर पर करेंगे।

विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों की पहचान, प्रोत्साहन व नियंत्रण के लिये निम्नवत् समिति होगी :–

विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति का स्वरूप

- विभागाध्यक्ष – अध्यक्ष
- अपर विभागाध्यक्ष – सदस्य सचिव
- वित्त नियंत्रक अथवा वित्त अधिकारी – सदस्य
- परिसम्पत्ति से सम्बन्धित विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी–सदस्य

उक्तानुसार गठित समितियों के अध्यक्ष निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। सक्षम प्राधिकारी को अनुमति प्राप्त गतिविधियों की सूची में जोड़ने, घटाने या संशोधित करने का अधिकार होगा।

5– समितियों के कार्य

- नियमित बैठकें आयोजित करना, जो प्रति तिमाही में कम से कम एक बार हो, जिससे योग्य परिसंपत्तियों की पहचान की जा सके और इन्हें विभिन्न प्रचार एवं प्रसार तंत्र के माध्यम से प्रचारित किया जा सके।
- सम्पत्ति के उपयोग की स्वीकृति सूची के अनुसार परिसम्पत्तियों में जनगतिविधियों का उपयोग सुनिश्चित कराना।
- नागरिक व्यवस्था सुविधाएं और तंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अवस्थापना के लिए अधिकतम क्षमता और उपयोग सीमाएं निर्धारित करना।
- संपत्ति का रखरखाव, उन्नयन और वित्त प्रावधान के लिए एक तंत्र स्थापित करना, जिसमें बजटीय प्रावधान और स्थानीय निकायों के साथ संभावित सहयोग सम्मिलित हो सकता है।
- सक्षम प्राधिकारी/जिला स्तरीय समिति/विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति द्वारा नागरिकों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु चिन्हित की गई सार्वजनिक सम्पत्तियों हेतु समिति की बैठक में विचार–विमर्श के उपरान्त सम्पत्ति के उपयोग हेतु प्रचलित बाजार दरों एवं सफाई/अनुरक्षण में होने वाले व्यय का संज्ञान लेतु हुए शुल्क निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।
- अनुरोध प्रबंधन और संपत्ति के उपयोग के मॉनिटरिंग के लिए ITDA के सहयोग से एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जायेगा, जिस पर जिला स्तरीय समितियों एवं विभागाध्यक्ष स्तरीय समितियों के अध्यक्षों को पहुंच (Access) प्रदान की जायेगी।

6– उपयोगकर्ता हेतु दिशानिर्देश

- इच्छुक व्यक्ति या कानूनी इकाइयों को निर्दिष्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन में अपेक्षित संपत्ति, उद्देशियत गतिविधि, तिथि, समय और अवधि उल्लिखित करनी होगी।
- जो शुल्क लिया जा सकता है और जो राजस्व प्राप्ति सम्भावित है, जिससे सम्पत्ति रखरखाव कॉरपस में योगदान सम्भव हो, का उल्लेख किया जायेगा।
- सामुदायिक कल्याण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षा, खेल और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाले आवेदनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- वृद्ध, बच्चों, महिलाओं और दिव्यागों हेतु समान भागीदारी व पहुंच सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रावधान किये जायेंगे।
- संपत्ति उपयोग के समय यदि उपयोगकर्ता द्वारा संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, ऐसी स्थिति में संपत्ति क्षति की प्रतिपूर्ति उपयोगकर्ता से की जायेगी।

7— अनुपालन और प्रवर्तन

- उपयोगकर्ताओं को संपत्ति उपयोग के लिए स्थापित नियम और विनियमों का पालन करना होगा।
- अनुपालन न करने या दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में समिति को अनुमति रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार होगा।
- संपत्ति के उपयोग की निगरानी और मूल्यांकन नियमित रूप से करना होगा ताकि इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

8— प्रचार और जनजागरूकता

- सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग के लिए उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक संचार रणनीति विकसित करना।
- सोशल मीडिया, सरकारी वेबसाइट, स्थानीय समाचार पत्रों और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों, जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके पहल करना ताकि इस बारे में जानकारी प्रचारित की जा सके।
- जनसहभागिता को बढावा दिये जाने हेतु प्रोत्साहन कार्यक्रमों के माध्यम से इन सुविधाओं के बारे में सार्वजनिक स्थलों में प्रदर्शन किया जाना।

9— लचीली बुकिंग प्रणाली

- उपयोगकर्ताओं के लिए एक कुशल और उपयोगकर्ता मित्रतापूर्ण सामान्य ई—बुकिंग प्रणाली ITDA के माध्यम से तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से संपत्ति के उपयोग के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
- व्यक्तियों या संगठनों को अपनी आवश्यकताओं और उपयोग की इच्छुकता को निर्दिष्ट करके संपत्ति की एडवान्स में बुकिंग करने की अनुमति दी जाएगी।
- एक ही परिसम्पत्ति के लिये एक ही समय में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी आवंटन प्रणाली का उपयोग व क्रियान्वयन कराया जाएगा।

10— सुरक्षा और संरक्षा के उपाय

- उपयोगकर्ताओं और संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा।
- ऑफिस के बाद के समय में सुरक्षा कर्मियों या निर्दिष्ट कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जाएगा।
- सुरक्षा नियमों का पालन करने और किसी भी रखरखाव या सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाएगा।

11 सामुदायिक समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग तथा कौशल विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रम

- सरकारी संपत्तियों का उपयोग ऑफिस के बाद के समय में कौशल विकास कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए किये जाने की सम्भावनायें खोजना।
- संबंधित संस्थानों, उद्योग के विशेषज्ञों या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ सहयोग करके इन कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाने और समुदाय के कौशल व रोजगार क्षमता को बढ़ाने में सहायता करना।

12– प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र

- उपयोगकर्ताओं को अपने अनुभव पर प्रतिक्रिया देने और सुधार के सुझाव देने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
- उपयोगकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया (फीडबैक) को नियमित रूप से समीक्षा करना ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और जनता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे या चिंताओं का समाधान किया जा सके।

13 निगरानी (मॉनिटरिंग) और मूल्यांकन

इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों की प्रभावशीलता और सरकारी संपत्ति के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी स्तर पर एक मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली अपनायी जायेगी जो सरकारी परिसम्पत्तियों के उपयोग के पैटर्न, आयोजन उत्पन्न करने, सामुदायिक प्रभाव और उपयोगकर्ता संतुष्टि पर डेटा विश्लेषण करने के उपरान्त सुधार सम्बन्धी निर्णयों हेतु उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया की नियमित समीक्षा करेगी ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और जनता द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे या चिंताओं का समाधान किया जा सके।

14– सरकारी भवनों और परिसंपत्तियों के जनता के उपयोग के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा वसूले गये शुल्क की धनराशि में से 50 प्रतिशत को पृथक प्राप्ति लेखाशीर्षक खोलकर कोषागार में जमा किया जायेगा जबकि अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि को जिलास्तरीय समिति/विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति कोषस में जमा किया जायेगा, जिसका उपयोग इन्हीं परिसम्पत्तियों की नियमित मरम्मत, नवीनीकरण और सुविधा प्रबंधन के लिए किया जाएगा। यदि जिलास्तरीय समिति/विभागाध्यक्ष स्तरीय समिति के कोषस में किसी समय धनराशि

रू 100.00 लाख से अधिक हो जाय तो उसे राजकोष में जमा करा दिया जायेगा। इस हेतु पारदर्शी वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली को कार्यान्वित किया जाएगा ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और दिखाया जा सके कि इस धन को जनता के लाभ के लिए कैसे उपयोग किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी संबंधित हितधारकों से परामर्श करके, धन के आवंटन और उपयोग के लिए दिशानिर्देश स्थापित करेगा, जो सरकार के संपूर्ण उद्देश्यों के साथ संगत और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा। उपरोक्त एकत्र धनराशि के अनुपात में परिवर्तन का अधिकार वित्त विभाग में निहित होगा।

निष्कर्ष

15— इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को जनता के व्यापक उपयोग में लाकर सरकारी संपत्ति का प्रभावी उपयोग किया जा सके और सामुदायिक विकास और नागरिक भागीदारी के लिए एक समावेशी वातावरण बनाया जा सके।

16— <u>परिशिष्ट—A</u>

सरकारी संपत्ति के जनता के उपयोग के लिए
अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ

इस श्रेणी में निम्नांकित गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, लेकिन यह इस सूची तक ही सीमित नहीं हैं अपितु इस सूची को घटाए या बढाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी / संबंधित समिति समय समय पर निर्णय ले सकती है :—

- खेल मैदानों या खुले सार्वजनिक स्थलों का प्रातः व सायं घूमने, योग, खेल सम्बन्धी गतिविधियों आदि हेतु कार्यालय अवधि के उपरान्त उपयोग में लाना।
- प्रतियोगिताओं या विज्ञान मेलों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण सत्रों, अतिथि व्याख्यानों आदि जैसे शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक व्याख्यान या मुद्दों पर बातचीत, बच्चों या वयस्कों के लिए सार्वजनिक पुस्तक पठन या कहानी सत्र आयोजित करना।
- प्रासंगिक सामाजिक, आर्थिक, या पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों पर खुले मंच या सार्वजनिक वाद—विवाद का आयोजन।
- कैरियर परामर्श सत्र या रोजगार मेला।
- कौशल विकास कार्यशालाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सामुदायिक बैठकें और निजी पारिवारिक समारोहों / उत्सवों जैसे सामाजिक समारोह।

- स्थानीय कला, कारीगरी, विरासत को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक त्योहार या मेले आदि।
- स्वास्थ्य कैंप, रक्तदान अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम आदि जैसे सार्वजनिक कल्याण की पहल।
- योग या फिटनेस कक्षाएं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य, 'वेलनेस' संबंधी कार्यक्रम आदि।
- लैंगिक समानता, नशीली दवाओं के उपयोग से बचाव या सड़क सुरक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता अभियान।
- पर्यावरण जागरूकता अभियान, पेड़ लगाने की पहल आदि।
- पंजीकृत गैरलाभकारी संगठनों या समुदाय आधारित संगठनों द्वारा आयोजित गतिविधियाँ।
- संगीत 'कन्सर्ट', थियेटर प्रदर्शन, कला प्रदर्शन, नृत्य संगीत संध्या आदि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या स्थानीय समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले सामाजिक आयोजन।
- शैक्षिक या सामाजिक रूप से प्रासंगिक विषयों पर सार्वजनिक फिल्म स्क्रीनिंग या डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन।
- दोस्ताना मैच या खेल के मुकाबलों जैसे सामुदायिक खेल कार्यक्रम।
- स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों या नवाचारकों के लिए सार्वजनिक प्रदर्शनी।
- पंजीकृत गैरलाभकारी संगठनों के लिए 'चैरिटी इवेंट' और धन एकत्र करना।
- सामुदायिक निर्माण गतिविधियाँ, जो समावेशी और एक पीढ़ी के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करें।
- जनसहभागिता, नागरिक संवाद और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करने वाली अन्य गतिविधियाँ।
- समिति द्वारा अनुमन्य अन्य व्यवसायिक गतिविधियां।

17—

परिशिष्ट—B
निषिद्ध गतिविधियाँ

इस श्रेणी में सरकारी संपत्ति के सार्वजनिक उपयोग के लिए नितान्त प्रतिबंधित निम्नांकित ऐसी नकारात्मक गतिविधियां, जो सार्वजनिक सम्पत्ति के उपयोग के योग्य नहीं हैं, सम्मिलित हैं। जिनकी सीमा सिर्फ इतनी ही नहीं है अपितु इस सूची को बढाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/ संबंधित समिति समय समय पर निर्णय ले सकती है :—

- राजनीतिक रैली या गतिविधियाँ, जो पक्षपातपूर्ण उद्देश्य से की जा रही हों।
- नफरत भाषण, हिंसा या भेदभाव को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ।
- संपत्ति को क्षति पहुंचाने या उसकी सामान्य कार्यक्षमता को बाधित करने की

संभावनाओं वाली गतिविधियाँ।

- कोई भी गतिविधि, जो गैरकानूनी, अवैध या सार्वजनिक सुरक्षा में अव्यवस्था का कारण हो अथवा जनसौहार्द के प्रतिकूल हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी अथवा जनपद स्तरीय समिति निर्णीत करें।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 05-09-2023 12:36:07

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

परिशिष्ट–क
सामान्य भविष्य निधि ब्याजदरों की सारिणी

क0सं0	वित्तीय वर्ष	अवधि	ब्याजदर	शासनादेश संख्या
1	2019–20	01.04.2019 से 30.06.2019 तक	8%	153(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 27 मई, 2019
		01.07.2019 से 30.09.2019 तक	7.9%	231(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 29 जुलाई, 2019
		01.10.2019 से 31.12.2019 तक	7.9%	397(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 26 नवम्बर, 2019
		01.01.2020 से 31.03.2020 तक	7.9%	18(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 23 जनवरी, 2020
2	2020–21	01.04.2020 से 30.06.2020 तक	7.1%	88(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक01 अप्रैल, 2020
		01.07.2020 से 30.09.2020 तक	7.1%	186(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 29 जुलाई, 2020
		01.10.2020 से 21.12.2020 तक	7.1%	370(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 10 दिसम्बर, 2020
		01.01.2021 से 31.03.2021 तक	7.1%	78(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 18 जनवरी, 2021
3	2021–22	01.04.2021 से 30.06.2021 तक	7.1%	133/XXVII(7)/21–7(1)2013 दिनांक 08 जून, 2021
		01.07.2021 से 30.09.2021 तक	7.1%	211/XXVII(7)/20–7(1)2013 दिनांक 13 सितम्बर, 2021
		01.10.2021 से 31.12.2021 तक	7.1%	272/XXVII(7)/20–7(1)2013 दिनांक 18 नवम्बर, 2021
		01.01.2022 से 31.03.2022 तक	7.1%	45/XXVII(7)/22–7(1)2013 दिनांक 11 मार्च, 2022
4	2022–23	01.04.2022 से 30.06.2022तक	7.1%	37546/XXVII(7)/20–7(1)2013 दिनांक 27 मई, 2022
		01.07.2022 से 30.09.2022तक	7.1%	56325/XXVII(7)/20–7(1)2013 दिनांक 17 अगस्त, 2022
		01.10.2022 से 31.12.2022तक	7.1%	82423/XXVII(7)/E–26942/2022 दिनांक 14 दिसम्बर, 2022
		01.01.2023 से 31.03.2023 तक	7.1%	92723/XXVII(7)/E–26942/2022 दिनांक 20 जनवरी, 2022
5	2023–24	01.04.2023 से 30.06.2023 तक	7.1%	119719(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 20 अप्रैल, 2023
		01.07.2023 से 30.09.2023 तक	7.1%	137820(1)/XXVII(7)/19–7(1)2013 दिनांक 14 जुलाई, 2023

परिशिष्ट–ख

राज्य सरकार के कार्मिकों/अन्य कार्मिकोंहेतुमंहगाईभत्ते की दरें

क0सं0	पे कमीशन	अवधि	मंहगाईराहतदर	शासनादेश संख्या
1	सातवां	01.01.2019 से 30.06.2023 तक	12%	81(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 07 मार्च, 2019
2	छठवां	01.01.2019 से 30.06.2023 तक	154%	151(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 27 मई, 2019
3	पांचवां	01.01.2019 से 30.06.2023 तक	295%	149(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक27 मई, 2019
4	सातवां	01.07.2019 से 31.12.2019 तक	17%	354(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019
5	छठवां	01.07.2019 से 31.12.2019 तक	164%	381(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019
6	पांचवां	01.07.2019 से 31.12.2019 तक	312%	380(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 05 नवम्बर, 2019
7	सातवां	01.07.2021 से 31.12.2021 तक	28%	219(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021
8	छठवां	01.07.2021 से 31.12.2021 तक	189%	221(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021
9	पांचवां	01.07.2021 से 31.12.2021 तक	356%	223(1)/XXVII(7)02/2016 दिनांक 24 सितम्बर, 2021
10	सातवां	01.01.2022 से 30.06.2022 तक	34%	37010/XXVII(7)02/2016 दिनांक 31 मई, 2022
11	छठवां	01.01.2022 से 30.06.2022 तक	203%	37006/XXVII(7)02/2016 दिनांक31 मई, 2022
12	पांचवां	01.01.2022 से 30.06.2022 तक	381%	37009/XXVII(7)02/2016 दिनांक 31 मई, 2022
13	सातवां	01.07.2022 से 21.12.2023 तक	38%	74730/XXVII(7)02/2016 दिनांक 08 नवम्बर, 2022
14	छठवां	01.07.2022 से 21.12.2023 तक	212%	77444/XXVII(7)02/2016 दिनांक 18 नवम्बर, 2022
15	पांचवां	01.07.2022 से 21.12.2023 तक	396%	77439/XXVII(7)02/2016 दिनांक 18 नवम्बर, 2022
16	सातवां	01.01.2023 से 30.06.2023 तक	42%	126937/XXVII(7)02/2016 दिनांक 02 जून, 2023
17	छठवां	01.01.2023 से 30.06.2023 तक	221%	126933/XXVII(7)02/2016 दिनांक 02 जून, 2023
18	पांचवां	01.01.2023 से 30.06.2023 तक	412%	137845/XXVII(7)02/2016 दिनांक 18 जुलाई, 2023

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 वित्त/241–01–01–2024–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।